

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ/०३ /५०/२०१९/१४५

भोपाल, दिनांक 15/10/2019

प्रति,

1. आयुक्त,
गृह निर्माण मण्डल, म.प्र. भोपाल
2. संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल
3. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत (समस्त)
भोपाल म.प्र.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/
ग्वालियर/उज्जैन/देवास/कटनी/रतलाम/सिंगरौली/अमरकंटक/पचमढ़ी/
ओरछा/खजुराहो/ महेश्वर/चित्रकूट/साडा काउण्टर मेनेट ग्वालियर।

विषय:- विकास अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों में अन्य विभागों से मांगे जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14 एवं 16।
 2. म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-3-119/2012/32 भोपाल, दिनांक 19.06.2012।
 3. मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 3-56/13/32 भोपाल दिनांक 08.05.2013
 4. म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-3-26/2015/18-6 दिनांक 31.03.2015 (सिंगल डोर प्रणाली)
 5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 87(ii)।
 6. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक GSR751(e)दिनांक 30.09.2015।
 7. एन.एम.ए अधिनियम, 2015।
 8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक एस. ओ. 5733 (इ) दिनांक 14.11.2018।
 9. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भवन निर्माण के लिए अनापत्ति के संदर्भ में गाइड लाइन परिपत्र क्रमांक F.11026/2/2011/D(Lands)दिनांक 21.10.2016

—0—

1. राज्य शासन के संदर्भित परिपत्रों द्वारा विकास अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुज्ञा प्रकरणों में निम्नलिखित कार्यालयों से अनापत्ति प्राप्त करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं:

- अ. राजस्व विभाग से नजूल अनापत्ति
- ब. विकास प्राधिकरणों से अनापत्ति
- स. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से अनापत्ति